विविध बैंक प्रकरण सं. 106 / 2022 (RCMS 2022/152) State Bank of India Stressed Assets Recovery Branch, SBI Administrative Office Building, 3rd Floor, Civil Lines, Fountain Chowk, **Ludhiana <u>बनाम</u> M/s Dravya Daksh Overseas** LLP through its **Partners <u>1</u>. Sh. Sandeep** jain S/o Sh. Nem Chand Jain, **<u>2</u>. Sh. Vipin Jain** S/o Sh. Nem Chand Jain **and <u>3</u>. Smt. V[illegible]a** jain W/o Sh. Vipin Jain, B-XIX-1348/20-21-B, haibowal Khurd, Near [illegible]mal Chhaya Apartment, Ludhiana

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>18.07.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकर्त्ता श्री संजय उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मैसर्स द्रव्य दक्ष ऑवरसिज जरिये पार्टनर 1. संदीप जैन 2. विपिन जैन एवं 3. वंदना जैन** को ऋण सुविधा के रूप में 7.20/–करोड़ रूपये (अखरे रूपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 09.02.2016 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **कस्तूरी लाल जैन** की सम्पत्ति All the part and parcel of Property/Industrail Plot measuring 1.265 Hectares (12650 Square Meters) comprised in Khata No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/.0253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253 situated at Chak 23 GG, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar(Rajasthan)- (Wasika No. 256 dated 16.03.2015), All the part and parcel of Porperty measuring 47.77 Square Yards situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (R[illegible] (vide lease deed No. 2041 dated 24.03.2014) and **कस्तूरी लाल जैन एवं [illegible] कुमार की सम्पत्ति** All that part and parcel of Shop No. 65 measuring 1012.65 Square Feet situ[illegible] Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan) (Wasika No. 5431 [illegible]30 dated 20.08.2014, 540 dated 13.02.2006, 486 dated 08.02.2006 and 607 & 608 dated

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

11.03.1991) प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक (अंकित नहीं) अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.03.2018 को 6,97,93,752/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 21.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। जिसके परिणामस्वरूप **पोस्ट ऑफिस के नोटिस धारा 13(2) भिजवाने की रसीद की फोटो प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **कस्तूरी लाल जैन की सम्पत्ति** all the part and parcel of Property/Industrail Plot measuring 1.265Hectares (12650 Square Meters) comprised in Khata No. 63/54, Muraba No. 06, Killa No. 6/.0253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253 situated at Chak 23 GG, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar(Rajasthan)- (wasika No. 256 dated 16.03.2015), All the part and parcel of Porperty measuring 47.77 Square Yards situated at Shop No. 65, Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan) (vide lease deed No. 2041 dated 24.03.2014) and **कस्तूरी लाल जैन एवं विजय कुमार की सम्पत्ति** All that part and parcel of Shop No. 65 measuring 1612.65 Square Feet situated at Old Dhan Mandi, Sri Ganganagar (Rajasthan) -(Wasika No. 5431 & 5430 dated 20.08.2014, 540 dated 13.02.2006, 486 dated 08.02.2006 and 607 & 608 dated 11.03.1991) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि **प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थीगण मैसर्स द्रव्य दक्ष ऑवरसिज जरिये पार्टनर 1. संदीप जैन 2. विपिन जैन एवं 3. वंदना जैन 4. विजय जैन एवं 5. कस्तूरी लाल जैन के विरूद्ध दिनांक 07.08.2018 को एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में 76/2018 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत तामील नहीं होने के कारण दिनांक 04.12.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया था जिसके पेज संख्या 6 में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

> **अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुधियान का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2018** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।
>
> **यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**
>
> -sd-
> **(शिवप्रसाद एम. नकाते)**
> **जिला मजिस्ट्रेट**
> **श्रीगंगानगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04.12.2019 की पालना नही की गई। **इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.2019 में उक्त अधिनियम 2002 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण के विरूद्ध नये सिरे करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 04.12.2019 के पश्चात प्रार्थी बैंक ने दिनांक 06.06.2022 को पुनः प्रकरण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.03.2018 के साथ ही इस न्यायालय पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। **चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 04.12.2019 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में** पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [Vide: Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested